



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad
(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

दिनांक : 19.12.2025

पत्रांक : गु0ज0वि0वि0मु0/प0नि0/2025/46

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,
मुरादाबाद।

विषय:— परीक्षा केन्द्रों हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु समय-समय पर शासनादेशों के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 19.12.2025 के अनुपालन में परीक्षा केन्द्रों हेतु दिशा-निर्देश संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय

19/12/2025
(अमृत लाल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
3. वित्त अधिकारी, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
4. गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

परीक्षा केन्द्रों हेतु दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

ये दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करना तथा परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है।

संदर्भ शासनादेश

1. शासनादेश संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018
2. शासनादेश संख्या-01/2020/17/सत्तर-1-2020-16(9)/2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020
3. शासनादेश संख्या-1043/सत्तर-1-2022-16(9)/2018 दिनांक 08 अप्रैल, 2022

1. सी.सी.टी.वी. एवं तकनीकी अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं

1.1 सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापना (अनिवार्य)

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 1 एवं 2

- राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने पर प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं रिकॉर्डिंग हेतु डी.वी.आर. तथा राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याएं एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे स्थापित किये जायें।
- परीक्षा कक्ष के बाहर कॉरिडोर में भी कैमरे का प्रावधान होना चाहिए।
- सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।

1.2 वेबकास्टिंग एवं मॉनिटरिंग

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 40

- केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा।



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

2. भौतिक अवसंरचना एवं सुरक्षा

2.1 स्ट्रांग रूम व्यवस्था

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 4

- प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा हेतु कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम होना चाहिए।
- स्ट्रांग रूम में कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए।
- स्ट्रांग रूम के खोलने व बंद करने का एक लॉग रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें रूम खोलने व बंद करने वाले अधिकारी का नाम, कारण, समय आदि की प्रविष्टियां की जानी चाहिए।
- स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर दो ताले जिसकी चाबी परीक्षा कराने वाले दो अलग-अलग उचित स्तर के अधिकारियों पर होनी चाहिए।
- स्ट्रांग रूम में किसी भी प्रकार का कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा होना चाहिए।

2.2 चहारदीवारी एवं गेट

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 5

- चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य।

2.3 मूलभूत सुविधाएं

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 6

- फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था।
- अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु जेनरेटर का वैकल्पिक प्रबंध अनिवार्य।
- छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय अनिवार्य।

2.4 अग्निशमन व्यवस्था

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 22

- फायर एक्स्टिंग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत की व्यवस्था। सभी यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।

3. बैठक क्षमता एवं स्थान आवंटन

3.1 धारण क्षमता की गणना

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 7

- एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी.) का क्षेत्रफल निर्धारित है।



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

4. परीक्षा केन्द्रों के चयन में प्राथमिकता

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 3

- प्रथम प्राथमिकता: राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
- द्वितीय प्राथमिकता: स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (आवश्यकतानुसार)

5. छात्रों के केन्द्र आवंटन नीति

5.1 छात्राओं हेतु स्व-केन्द्र

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 8-9

- छात्राओं को उनके अपने महाविद्यालय में परीक्षा की सुविधा।
- अन्यथा अधिकतम 5 कि.मी. की परिधि में केन्द्र आवंटन।

5.2 दिव्यांग विद्यार्थी

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 31

- स्वकेन्द्र या स्थानीय/निकटस्थ केन्द्र पर समायोजन।

6. परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने वाले महाविद्यालय

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 11-16

- सामूहिक नकल के इतिहास वाले महाविद्यालय
- प्रबन्धक/प्राचार्य आवास वाले महाविद्यालय
- प्रश्न-पत्र लीक/गोपनीयता भंग वाले (न्यूनतम 3 वर्ष प्रतिबंध)
- AISHE डाटा रहित महाविद्यालय
- हिंसा/आगजनी का इतिहास वाले
- प्रबन्ध समिति में विवाद वाले

7. केन्द्र व्यवस्थापक एवं कर्मचारी

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 10, 19, 22, 32

- प्राचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त किया जायेगा (यदि डिबार नहीं)
- स्व-केन्द्रों पर 50% वाह्य स्टाफ अनिवार्य
- प्रत्येक कक्ष में न्यूनतम दो कक्ष निरीक्षक
- महिला परीक्षार्थियों के लिए महिला कक्ष निरीक्षक अनिवार्य



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

8. समान प्रबन्धन व्यवस्था पर प्रतिबंध

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 29-30

- एक ही प्रबन्धक के महाविद्यालयों के छात्रों का उसी प्रबन्धक के अन्य महाविद्यालयों पर आवंटन निषिद्ध
- पारस्परिक आधार पर केन्द्र निर्धारण निषिद्ध
- कुलसचिव द्वारा अनुपालन प्रमाणन आवश्यक

9. सुरक्षा एवं प्रवेश नियंत्रण

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 21, 33, 39

- वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित
- 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति/अन्य का प्रवेश निषिद्ध
- पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर निषिद्ध

10. प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रबंधन

11. प्रशासनिक प्रक्रियाएं

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 35-38

- केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य
- क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता परीक्षण
- प्रत्येक केन्द्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट

12. अनियमितता प्रबंधन

संदर्भ: शासनादेश संख्या 01/2020, खंड 18, 41

- अनियमितता पर केन्द्र व्यवस्थापक का तत्काल प्रतिस्थापन
- निदेशक, उच्च शिक्षा को दैनिक रिपोर्ट (रात्रि 9 बजे तक)

13. अनुपालन एवं कार्यान्वयन

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

- परीक्षा-पूर्व निरीक्षण करना
- गैर-अनुपालन पर केन्द्र दर्जा वापस लेना
- नियम उल्लंघन पर डिबार्समेंट प्रतिबन्ध सहित दण्ड लगाना
- शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

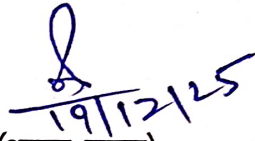
Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

नोट: केंद्र या परीक्षा कक्ष में सामूहिक नकल की किसी भी घटना पर केंद्र अधीक्षक/प्राचार्य तथा इयूटी पर तैनात शिक्षक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, संबंधित कॉलेज को 'नो एडमिशन कैटेगरी' में रखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आगामी सत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगा।

इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध महाविद्यालयों में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल-विहीन परीक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


(अमृत लाल)
परीक्षा नियंत्रक